2011:CGHC:10848-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगल पीठ : माननीय श्री सुनिल कुमार सिन्हा न्यायाधीश एवं**

**माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश।**

**दांडिक अपील क्रमांक 517/1994**

**चैतु (मृत)**

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

(अब छत्तीसगढ़ शासन)

(जुडा हुआ दांडिक अपील क्रमांक 527,539,567,641,650 और 1081/1994)

**निर्णय**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**सुनिल कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश**

**माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश**

**मैं सहमत हूं ।**

**सही/-**

**श्री आर. एस. शर्मा**

**न्यायाधीश**

**दिनांक 01 नवम्बर 2011 को निर्णय हेतु सूचीबध्द करें ।**

**सही/-**

**सुनिल कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगल पीठ : माननीय श्री सुनिल कुमार सिन्हा न्यायाधीश एवं**

**माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश।**

**दांडिक अपील क्रमांक 517/1994**

**अपीलार्थीगण**

1. चैतु (मृत) पिता जगदेव साहू, आयु 60 वर्ष
   (अभियुक्त संख्या 38)
2. विष्णु पिता चैतूराम साहू, आयु 36 वर्ष
   (अभियुक्त संख्या 43)
3. हरनारायण पिता फत्तेराम साहू, आयु 27 वर्ष
   (अभियुक्त संख्या 45)
4. फत्तेराम पिता चैतूराम साहू, आयु 45 वर्ष
   (अभियुक्त संख्या 46)

सभी कृषक, निवासी ग्राम ढोठामा, पुलिस चौकी/जरहागाँव, थाना एवं तहसील मुगेली, जिला बिलासपुर, एम.पी. (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

**प्रत्यर्थी**

मध्यप्रदेश शासन

(अब छत्तीसगढ़)

**दांडिक अपील क्रमांक 527/1994**

**अपीलार्थीगण**

1. तुकाराम पिता भूलाऊ सतनामी, आयु 28 वर्ष
   (अभियुक्त संख्या 15)
2. बजरहा @ बंगैहा (मृत) पिता बहोरन सतनामी,

आयु 53 वर्ष (अभियुक्त संख्या 22)

3. बाडकू पिता ग्यानदास सतनामी, आयु 40 वर्ष

(अभियुक्त संख्या 25)

4. तुलाराम (मृत) पिता मनभा सतनामी, आयु 60

वर्ष (अभियुक्त संख्या 31)

5. जेठू (मृत) पिता पुस्सू मरार, आयु 45 वर्ष

(अभियुक्त संख्या 40)

6. भिखम पिता भूलाऊदास सतनामी, आयु 28 वर्ष

(अभियुक्त संख्या 48)

7. समलू पिता जगत सतनामी, आयु 40 वर्ष

(अभियुक्त संख्या 2)

8. बुधारी पिता गोवर्धन सतनामी, आयु 40 वर्ष

(अभियुक्त संख्या 9)

सभी निवासी ग्राम ढोठामा, पुलिस चौकी जरहागाँव, थाना एवं तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर, एम.पी. (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**बनाम**

**<u>प्रत्यर्थी</u>** मध्यप्रदेश शासन

(अब छत्तीसगढ़)

**दांडिक अपील क्रमांक 539/1994**

**अपीलार्थीगण**

1. पुनवा पिता रामायण सतनामी, आयु 50 वर्ष (अभियुक्त संख्या 5)
2. रूपू पिता तेहलू सतनामी, आयु 45 वर्ष (अभियुक्त संख्या 10)
3. फगुराम @ मुन्नू पिता होराराम सतनामी, आयु 22 वर्ष (अभियुक्त संख्या 18)
4. सोनू (मृत) पिता तेहलू सतनामी, आयु 50 वर्ष (अभियुक्त संख्या 21)
5. श्यामदास पिता नकछेद सतनामी, आयु 36 वर्ष (अभियुक्त संख्या 23)
6. बादकू पिता डूकल्हा सतनामी, आयु 36 वर्ष (अभियुक्त संख्या 24)
7. चोवराम पिता मटूम सतनामी, आयु 35 वर्ष (अभियुक्त संख्या 26)
8. बजरहा पिता नकछेद सतनामी, आयु 45 वर्ष (अभियुक्त संख्या 28)
9. हिरवा @ हीरादास (मृत) पिता सेवकदास सतनामी, आयु 55 वर्ष (अभियुक्त संख्या 37)
10. मुन्नालाल पिता पुरिवा सतनामी, आयु 22 वर्ष (अभियुक्त संख्या 39)
11. बल्लू @ बलिराम पिता डूकल्हा सतनामी, आयु 35 वर्ष (अभियुक्त संख्या 50)
12. बोउवा @ चंद्रसेन पिता दुखीराम सतनामी, आयु 22 वर्ष (अभियुक्त संख्या 51)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी कृषक, निवासी ग्राम ढोठामा, पुलिस चौकी जरहागाँव, थाना एवं तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर, एम.पी. (अब छत्तीसगढ़)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** मध्यप्रदेश शासन

(अब छत्तीसगढ़)

**दांडिक अपील क्रमांक 567/1994**

**अपीलार्थी** आत्माराम पिता तीतड़ा सतनामी, आयु 32 वर्ष, निवासी ग्राम ढोठामा, थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर, एम.पी. (अब छत्तीसगढ़) (अभियुक्त संख्या 1)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** मध्यप्रदेश शासन

(अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**दांडिक अपील क्रमांक 568/1994**

**अपीलार्थीगण** **1.** पदम पिता नंदराम सतनामी, आयु 27 वर्ष (अभियुक्त संख्या 12)

2. अमरू (मृत) पिता ढेरवा सतनामी, आयु लगभग 37 वर्ष (अभियुक्त संख्या 14)

3. तुलवा (मृत) पिता ढेलवा सतनामी, आयु 50 वर्ष (अभियुक्त संख्या 20)

4. धरुवा (मृत) पिता ढेलवा सतनामी, आयु लगभग 60 वर्ष (अभियुक्त संख्या 27)

5. समरू उर्फ डम्मर पिता ढलवा सतनामी, आयु 40 वर्ष (अभियुक्त संख्या 41)

6. लतेल पिता धुरवा सतनामी, आयु 35 वर्ष (अभियुक्त संख्या 49)

सभी निवासी ग्राम ढोठामा, पुलिस चौकी जरहागाँव, थाना एवं तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर, एम.पी. (अब छत्तीसगढ़)

**बनाम**

**<u>प्रत्यर्थी</u>** मध्यप्रदेश शासन
(अब छत्तीसगढ़)

**<u>दांडिक अपील क्रमांक 641/1994</u>**

**<u>अपीलार्थी</u>** पूरन दास पिता चमरू सतनामी,
आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी ढोठामा, पुलिस चौकी जरहागाँव, थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर, एम.पी. (अब छत्तीसगढ़) (अभियुक्त संख्या 17)

**बनाम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>प्रत्यर्थी</u>** मध्यप्रदेश शासन
(अब छत्तीसगढ़)

**<u>दांडिक अपील क्रमांक 650/1994</u>**

**<u>अपीलार्थीगण</u>** 1. सवालदास पिता सहतो सतनामी, आयु 36 वर्ष (अभियुक्त संख्या 6)
2. चैतू (मृत) पिता कोदा सतनामी, आयु 60 वर्ष (अभियुक्त संख्या 7)
3. मंगला पिता कृपाल सतनामी, आयु 45 वर्ष (अभियुक्त संख्या 8)
4.रेवाराम पिता खोरबहरा सतनामी, आयु 28 वर्ष (अभियुक्त संख्या 29)
5. पुसाऊ पिता सोनवरसा सतनामी, आयु 35 वर्ष (अभियुक्त संख्या 32)

6. रामरतन (मृत) पिता सोनवरसा सतनामी, आयु 32 वर्ष (अभियुक्त संख्या 34)

7. कुंवर सिंह पिता खुमानी सतनामी, आयु 25 वर्ष (अभियुक्त संख्या 35)

8.कुंजराम (मृत) पिता गोलाई सतनामी, आयु 50 वर्ष (अभियुक्त संख्या 36)

9. समरू उर्फ डम्बर पिता ढेलबा सतनामी, आयु 40 वर्ष (अभियुक्त संख्या 41)

सभी कृषक, निवासी ग्राम ढोठामा, पुलिस चौकी जरहागाँव, थाना एवं तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर, एम.पी. (अब छत्तीसगढ़)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

मध्यप्रदेश शासन

(अब छत्तीसगढ़)

**और**

**दांडिक अपील क्रमांक 1081/1994**

**अपीलार्थीगण**

**1.** नरोत्तम (मृत) पिता भगेल्ला सतनामी, आयु 45 वर्ष

(अभियुक्त संख्या 3)

2. कुंभकरण पिता नंदराम सतनामी, आयु 25 वर्ष

(अभियुक्त संख्या 11)

3. नंदराम उर्फ निकू (मृत) पिता गयाप्रसाद सतनामी, आयु 50 वर्ष (अभियुक्त संख्या 42)

सभी निवासी ग्राम ढोठामा, पुलिस चौकी जरहागाँव, थाना एवं तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर, एम.पी. (अब छत्तीसगढ़)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दायर दांडिक अपीलें)**

**उपस्थित :** श्री प्रफुल्ल भारत अधिवक्ता, दांडिक अपील क्रमांक 527/1994 में अपीलार्थी क्रमांक 8 की ओर से ।

श्री विनय दुबे अधिवक्ता शेष अपीलार्थियों की ओर से ।

श्री अजय द्विवेदी उप महाधिवक्ता एवं श्री रवीन्द्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

**निर्णय**

**(01/11/2011)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय:**

(1) ये अपीलें 28 अप्रैल, 1994 को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण संख्या 321/1987 में पारित निर्णय के विरुद्ध हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302/149, 302/149 एवं 323/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा क्रमशः 3 वर्ष के कठोर कारावास, आजीवन कारावास (दो मामलों में) एवं 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही यह निदेश दिया गया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

(2) उपरोक्त अभियोगों के लिए कुल 51 अभियुक्त व्यक्तियों (अभियुक्त-1 से अभियुक्त-51) का विचारण हुआ था। इनमें से अभियुक्त-4, अभियुक्त-13, अभियुक्त-19, अभियुक्त-44 और अभियुक्त-47 की मृत्यु विचारण लंबित रहने के दौरान हो गई। अभियुक्त-38, अभियुक्त-22, अभियुक्त-31, अभियुक्त-40, अभियुक्त-21, अभियुक्त-37, अभियुक्त-14, अभियुक्त-20, अभियुक्त-27, अभियुक्त-7, अभियुक्त-34, अभियुक्त-36, अभियुक्त-3 और अभियुक्त-42 की भी अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलें पहले ही उपशमित हो चुकी हैं। मोतीलाल (अभियुक्त-30) ने आपराधिक अपील संख्या 635/95 दायर की थी। अपील लंबित

रहने के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। इसलिए, उसकी अपील भी 14.3.2011 को उपशमित हो गई।

(3) यह अभिव्यक्त किया गया है कि बुधारी (अभियुक्त-9) और चोवराम (अभियुक्त-26) को विशेष रियायत प्राप्त करके परिवीक्षा पर अंततः रिहा कर दिया गया है, और भोंदल (अभियुक्त-16, जो हमारे समक्ष अपीलार्थी नहीं है) ने संपूर्ण सजा भुगत ली है। चंद्रिका (अभियुक्त-33) की भी मृत्यु हो गई है।

(4) तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं: —

आरोप हैं कि 51 अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विधि-विरूध्द जमाव बनाया, घातक हथियारों के साथ दंगे में भाग लिया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु दो मृतक व्यक्तियों अर्थात जगदीश और रामफल की हत्या की तथा उन्होंने साधेलाल (अ.सा.-23) को भी चोटें पहुँचाईं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि गाँव ढोठामा में एक नया युवक समिति का गठन किया गया था। यह समिति गाँव के अपराधियों पर आर्थिक दंड लगाया करती थी। मृतक जगदीश समिति के सचिव थे। 4,900/- रुपये की राशि मृतक जगदीश के पास जमा थी जो ग्रामवासियों से जुर्माने के रूप में वसूल की गई थी। लगभग 1,500/- रुपये विष्णु साहू (अभियुक्त-43) के पास जमा थे। इस संबंध में गाँव में एक बैठक बुलाई गई। मृतक जगदीश को उक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया गया। जब विवाद उत्पन्न हुआ, तो जगदीश को सतनामी समुदाय से बाहर कर दिया गया। किसी को भी उनके साथ संबंध रखने की अनुमति नहीं थी। किसी झगड़े के कारण जगदीश ने मामले की पुलिस में रिपोर्ट की थी, जिस पर दोनों समूहों के बीच धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही भी चलाई गई। घटना की तारीख को उक्त कार्यवाही अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष लंबित थी। इस अवधि के दौरान संबंधित थाना प्रभारी ने गाँव का दौरा किया और उनके निर्देश पर, जगदीश ने 4,900/- रुपये विष्णु (अभियुक्त-43) को दे दिए। अन्य राशियों के जमा करने से संबंधित किसी विवाद पर, संबंधित थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों के सदस्यों को 20.7.1986 को थाने पर बुलाया था। आरोप हैं कि जब मृतक जगदीश, रामफल और साधेलाल (अ.सा.-23) 20.7.86 को थाने जा रहे थे, तो अभियुक्त व्यक्तियों ने उपर्युक्त तरीके से एक विधि-विरूध्द जमाव बनाकर, उन पर घातक हथियारों से हमला किया और उनकी पिटाई की। जगदीश, रामफल और साधेलाल (अ.सा.-23) को अनेक चोटें आईं। जगदीश और रामफल की उन चोटों के कारण मृत्यु हो गई । बेदन बाई (अ.सा.-2 — मृतक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जगदीश की माता) ने पुलिस चौकी जरहागाँव को एक रिपोर्ट दी (प्रदर्श.-पी/2), जिसके आधार पर, थाना मुंगेली में अपराध संख्या 178/86 दर्ज की गई। जनकराम (अ.सा.-1 — जगदीश के भाई) को भी घटना का पता चला और उन्होंने थाना मुंगेली में एक रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/1) दर्ज कराई। मृतकों के शवों पर पंचनामा तैयार किए गए; शवों को शव-परीक्षण हेतु भेजा गया और शव-परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुईं। शव-परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक, डॉ. एस.एस. सिसोदिया (अ.सा.-15) के अनुसार, दोनों मृतक व्यक्तियों की मृत्यु उन्हें लगी अनेक चोटों के कारण हत्या के रूप में हुई। शव-परीक्षण रिपोर्टें प्रदर्श.-पी/18-ए और पी/19-ए हैं।

(5) अभियोजन पक्ष का मामला जनकराम (अ.सा.-1), बेदन बाई (अ.सा.-2), विमला बाई (अ.सा.-22) और साधेलाल (अ.सा.-23) के कथनों पर आधारित था।

(6) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जनकराम (अ.सा.-1) और बेदन बाई (अ.सा.-2) की गवाहियों पर भरोसा नहीं किया। सत्र न्यायाधीश ने निर्णय के पैराग्राफ 20 और 21 में यह तथ्य अभिलिखित किए कि ये साक्षी पक्षद्रोही साक्षी थे और उनकी गवाहियां विश्वसनीय नहीं थीं। हालाँकि, विमला बाई (अ.सा.-22) और साधेलाल (अ.सा.-23) की गवाहियों पर भरोसा करते हुए, सत्र न्यायाधीश ने 46 अभियुक्त व्यक्तियों (सभी जीवित अभियुक्तों) को दोषी ठहराया और उन्हें उपर्युक्त सजाएँ सुनाईं। इनमें से 43 अभियुक्त व्यक्ति इन अपीलों को दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष आए। (अभियुक्त संख्या 41, समरू दो अपीलों में समान है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत एवं श्री विनय दुबे ने यह दलील दी कि विमला बाई (अ.सा.-22) मृतक जगदीश की पत्नी हैं; वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थीं; कोई सबूत नहीं है कि वह भी थाने जाने के लिए मृतकों के साथ गई थीं; वह अत्यधिक पक्षद्रोही साक्षी हैं; घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है; इसलिए, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी दलील दी कि साधेलाल (अ.सा.-23) भी विश्वसनीय नहीं थे; उन्होंने घटना का सही चित्रण नहीं दिया; और दो समूहों के बीच पुराने विवाद तथा गाँव की प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए, उनकी गवाही को भी अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे दलील दी कि कोई सकारात्मक सबूत नहीं

है जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थी किसी विधि-विरूध्द जमाव के सदस्य थे, और उस जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु दोनों मृतकों की हत्या की गई।

(8) दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान उप महाधिवक्ता श्री अजय द्विवेदी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(9) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(10) सबसे पहले, हम यह विचार करेंगे कि क्या कोई विधि-विरूध्द जमाव था और अपीलार्थी उस जमाव के सदस्य थे? यदि हाँ, तो उस जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या था?

(11) भारतीय दंड संहिता की धारा 141 विधि-विरूध्द जमाव को परिभाषित करती है। यह उपबंधित करती है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव एक "विधि-विरूध्द जमाव" कहलाता है, यदि उस जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य धारा 141 में वर्णित 5 उद्देश्यों में से एक या अधिक है। यह एक स्पष्टीकरण के माध्यम से आगे उपबंधित करती है कि एक जमाव जो एकत्र होने के समय विधि विरूध्द नहीं था, बाद में विधि-विरूध्द जमाव बन सकता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट करती है कि कम से कम 5 व्यक्तियों का ऐसा जमाव जिसका एक विधि विरूध्द सामान्य उद्देश्य हो जो धारा 141 में निर्दिष्ट 5 उद्देश्यों में से किसी एक के स्वरूप का हो, मूलतः एक विधि-विरूध्द जमाव का गठन करेगा और एक ऐसा जमाव जो एकत्र होने के समय विधि- विरूध्द नहीं था, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के प्रयोजन हेतु बाद में विधि-विरूध्द जमाव बन सकता है, जो यह उपबंधित करती है कि विधि-विरूध्द जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अपराध का दोषी होगा। धारा 149 और 141 भारतीय दंड संहिता में "सामान्य उद्देश्य" के रूप में प्रयुक्त शब्दों का बहुत महत्व है। इसे सामान्य आशय के विपरीत अर्थ में समझना होगा। इसलिए, धारा 149 भारतीय दंड संहिता के प्रभावों को देखने के लिए, किसी व्यक्ति की विधि-विरूध द जमाव में केवल उपस्थिति कुछ नहीं करेगी जब तक कि कोई सामान्य उद्देश्य न हो, वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित हो और वह उद्देश्य धारा 141 में प्रदत्त उनमें से एक या एक से अधिक हो। इसलिए, जब तक किसी विधि-विरूध्द जमाव के सामान्य उद्देश्य को सिद्ध नहीं किया जाता, किसी को भी धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता और किसी विधि-विरूध्द जमाव का सामान्य उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकता है। यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्धारित करने के लिए कि किसी व्यक्ति ने विधि-विरूध्द जमाव के कथित सामान्य उद्देश्य को साझा किया है, यह निर्धारित करना होगा कि वह अच्छी तरह जानता था कि वह जमाव, जिसका वह एक सदस्य था, धारा 141 में प्रदत्त कार्य या कार्यों को करने वाला था या उन्हें करने की संभावना थी। सामान्य उद्देश्य किसी भी स्तर पर बन सकता है। किसी विशेष स्तर पर बना सामान्य उद्देश्य छोड़ा जा सकता है और बाद में एक भिन्न उद्देश्य बनाया जा सकता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि 'ए' की हत्या करने के लिए एक विधि-विरूध्द जमाव बना जिसने वह कार्य किया या नहीं किया, उसके बाद वह जमाव 'बी' की हत्या के दूसरे सामान्य उद्देश्य को तुरंत बनाकर भी जारी रहा और इस प्रभाव का सबूत था, तो यह नहीं माना जाएगा कि विधि-विरूध्द जमाव का प्रारंभिक उद्देश्य 'बी' की हत्या करना नहीं था, और धारा 149 भारतीय दंड संहिता के सभी प्रयोजनों के लिए, जमाव ने 'बी' की हत्या का सामान्य उद्देश्य बिल्कुल नहीं रखा था। इन सभी बातों का निर्धारण प्रत्येक मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में करना होता है, और फिर, विधि-विरूध्द जमाव के प्रत्येक सदस्य को दोषी ठहराने के लिए धारा 149 के प्रावधानों को लागू करना होता है, यही विधायिका का आशय था जब उसने धारा 149 भारतीय दंड संहिता में "सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में" जैसे शब्दों को समाविष्ट किया। इसी तरह, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जहाँ कार्यों का एक क्रम हुआ हो, साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करना होता है कि क्या विधि-विरूध्द जमाव का सामान्य उद्देश्य केवल पहले कार्य के किए जाने तक विद्यमान था और उसके बाद क्या जमाव विसर्जित हो गया था या विधि-विरूध्द जमाव के किसी सदस्य या विसर्जित जमाव ने बाद के कार्य को किया था और यदि ऐसा है, तो क्या वह उसका स्वयं का कार्य होगा या उसे किसी विशेष समय पर विधि विरूध्द रहे जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए कार्य के रूप में माना जाएगा। यदि साक्ष्य पर यह पाया जाता है कि किसी विधि-विरूध्द जमाव का सामान्य उद्देश्य केवल एक विशेष कार्य करना था जो प्रथम दृष्टया किया गया था और उसके बाद प्रारंभिक विधि-विरूध्द जमाव के किसी सदस्य ने एक बाद का कार्य किया जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में नहीं था, तो यह निश्चित रूप से एक व्यक्तिगत कार्य होगा न कि जमाव का और ऐसे मामले में, धारा 149 की सहायता से कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) **मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [एआईआर 1965 एससी 202] में**, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-17 में अभिनिर्धारित किया कि "उस व्यक्ति के विरुद्ध जो किसी विधि-विरूध्द जमाव का सदस्य होने का आरोपी है, यह सिद्ध किया जाना है कि वह उस जमाव

का गठन करने वाले व्यक्तियों में से एक था और उसने जमाव के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर धारा 141 भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित सामान्य उद्देश्य रखा। धारा 142 उपबंधित करती है कि जो कोई भी ऐसे तथ्यों से अवगत हो जो किसी भी जमाव को एक विधि-विरूध्द जमाव बनाते हैं, जानबूझकर उस जमाव में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, उसे विधि-विरूध्द जमाव का सदस्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, पाँच या अधिक व्यक्तियों का ऐसा जमाव जो धारा 141 के पाँच उपखंडों द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों से प्रेरित हो और रखता हो, एक विधि-विरूध्द जमाव है। ऐसे मामले में निर्धारित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जमाव में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्य रखे। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या जमाव में कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जो केवल निष्क्रिय साक्षी थे और जमाव की सामान्य उद्देश्य रखने का इरादा किए बिना व्यर्थ जिज्ञासा के मामले के रूप में जमाव में शामिल हो गए थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) उपर्युक्त निर्णय तथा अनेक अन्य निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **पंडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(2009) 10 एससीसी 773] में** अभिनिर्धारित किया कि धारा 149 के दो तत्व हैं (i) विधि-विरूध्द जमाव के सदस्यों द्वारा अपराध का किया जाना; और (ii) ऐसा अपराध उस जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए जैसा कि उस जमाव के सदस्यों को इसके किए जाने की संभाव्यता का ज्ञान था। सामान्य उद्देश्य निर्धारित करने के लिए, विधि-विरूध्द जमाव के प्रत्येक सदस्य का हमले से पूर्व और हमले के समय का आचरण एक प्रासंगिक विचार है; विधि-विरूध्द जमाव का उद्देश्य एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसे जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा ले जाए गए हथियारों, और घटनास्थल पर या उसके निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना होता है।

(14) **सिकंदर सिंह एवं अनर बनाम बिहार राज्य; [2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 4426]** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य उद्देश्य के लिए हमले से पूर्व पूर्व-योजना या मनों की सामान्य सहमति की आवश्यकता नहीं होती। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक सदस्य का वही उद्देश्य है और सभी उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जमाव में कार्य करते हैं। सामान्य उद्देश्य का पता सदस्यों के कार्यों और भाषा से तथा सभी परिधि परिस्थितियों के

विचार से लगाया जाना होता है। सामान्य उद्देश्य के निर्धारण के लिए, विधि-विरूध्द जमाव के प्रत्येक सदस्य का हमले से पूर्व और हमले के समय का आचरण तथा अपराध का हेतुक कुछ प्रासंगिक विचार हैं।

(15) इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, हमें अपीलार्थियों के मामले की जाँच करनी है और उनकी भागीदारी एवं दायित्व का पता लगाना है।

(16) विमलाबाई (अ.सा.-22) मृतक जगदीश की पत्नी हैं। उन्होंने गवाही दी कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह अपने पति (मृतक जगदीश), साधेलाल (अ.सा.-23) और रामफल (अब मृत) के साथ थीं, जब वे थाना मुंगेली जा रहे थे। रास्ते में, जैसे ही उन्होंने हथिनाला पार किया, उन्होंने देखा कि अभियुक्त व्यक्ति वहाँ बैठे थे। अभियुक्त बुधारी ने उनके पति से धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता के मामले के बारे में पूछा। इसके बाद, बुधारी ने उनके पति के पैर पकड़ लिए और अभियुक्त आत्माराम, मोती और पदम ने तब्बल से उन पर हमला किया। अभियुक्त निर्मल, अंजोरे, पूरन, डम्मर, मोती, बुधारी, चोवा, समलू, भोंडल, सोनू, मुन्छू और हिरवा ने भी तब्बल और लाठी से उनके पति पर हमला किया। अन्य अभियुक्त व्यक्ति "घेरो" "घेरो" और "मारो" की तरह चिल्ला रहे थे। मृतक रामफल पर भी इन व्यक्तियों ने हमला किया। उन पर तब्बल से हमला किया गया। उन्होंने अभियुक्त बुधारी, मोहन आदि से बात की, जिन्होंने उन्हें गाली दी। यह दलील दी गई कि अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सिद्ध साक्ष्य के आधार पर, विमलाबाई (अ.सा.-22) की उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है। हमने उनकी गवाही की अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के प्रकाश में जाँच की है। साधेलाल (अ.सा.-23) एक घायल साक्षी हैं। उन्होंने कभी यह गवाही नहीं दी कि जब वे थाने जा रहे थे तो विमलाबाई (अ.सा.-22) भी उनके साथ थीं। उन्होंने पैरा 7 में बहुत स्पष्ट रूप से गवाही दी कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, केवल 3 व्यक्ति, अर्थात वे स्वयं और 2 मृतक व्यक्ति, थाना मुंगेली जा रहे थे और उन पर अभियुक्त पक्ष ने हमला किया। उनकी गवाही में कहीं भी यह नहीं आता कि विमलाबाई (अ.सा.-22) भी घटना के समय उपस्थित थीं। जनकराम (अ.सा.-1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.पी/1) दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि विमलाबाई (अ.सा.-22) भी मृतक जगदीश के साथ थाने गई थीं। प्रदर्श. पी/2, मृतक जगदीश की माता बेदिनबाई (अ.सा.-2) द्वारा पुलिस चौकी, जरहागाँव में दर्ज कराई गई रिपोर्ट है। उन्होंने भी उल्लेख किया कि केवल 3 व्यक्ति थाना मुंगेली जाने के लिए गाँव से निकले थे। वे उनका बेटा जगदीश (मृतक), पोता रामफल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(मृतक) और बहन का दामाद साधेलाल (अ.सा.-23) थे। मृतक के बेटे और माता द्वारा दर्ज कराई गई दो रिपोर्टों पर विवाद नहीं किया गया है। ये रिपोर्टें घटना के बारे में प्रथम सूचना थीं। रिपोर्टों के उस भाग पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जो कहता है कि केवल 3 व्यक्ति (2 मृतक और एक घायल) थाना मुंगेली जाने के लिए गाँव से निकले थे। घटना गाँव से काफी दूर हुई, जिसमें अभियुक्त और मृतक पक्ष रहते थे। यह नाले के दूसरी तरफ हुई, जिस पर कोई कल्वर्ट नहीं था। विमलाबाई (अ.सा.-22) ने यह दावा नहीं किया कि वह किसी तरह घटनास्थल पर पहुँची और उसे देखा। उन्होंने दावा किया कि वह 2 मृतक व्यक्तियों और साधेलाल (अ.सा.-23) के साथ प्रारंभिक अवस्था से ही थीं जब वे अपने घर से निकले। इसलिए, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के आधार पर, उनकी ऐसी गवाही संदिग्ध हो जाती है। गाँव से घटनास्थल की दूरी को देखते हुए, यह भी उचित प्रतीत नहीं होता कि शोर-गुल के बाद वह घटनास्थल पर पहुँची होगी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विमलाबाई एक मृतक की पत्नी हैं।

(17) **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2007 एआईआर एससीडब्ल्यू 1835]** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई साक्षी जो मृतक या अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे 'पक्षद्रोही' के रूप में नहीं चित्रित किया जा सकता। 'पक्षद्रोही' शब्द इस धारणा पर आधारित है कि साक्षी का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'हित' है कि शत्रुता या किसी अन्य गुप्त उद्देश्य के कारण अभियुक्त को किसी तरह दोषी ठहराया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि एक निकट संबंधी को 'पक्षद्रोही' साक्षी के रूप में नहीं चित्रित किया जा सकता। वह एक 'स्वाभाविक' साक्षी है। हालाँकि, उसकी गवाही की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जाँच पर, उसकी गवाही आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभाव्य और पूर्णतः विश्वसनीय पाई जाती है, तो दोषसिद्धि ऐसे साक्षी की 'एकमात्र' गवाही पर आधारित की जा सकती है। साक्षी का मृतक या पीड़ित के साथ निकट संबंध उसकी गवाही को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का निकट संबंधी सामान्यतः वास्तविक अपराधी को छोड़ने और एक निर्दोष को झूठे फँसाने में सबसे अनिच्छुक होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) **धरनीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य और अन्य संबद्ध अपीलों [(2010) 7 एससीसी 759]** में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे दोहराया कि कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते और वे हमेशा न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक

का निकट संबंधी, स्वतः ही, एक पक्षद्रोही साक्षी नहीं बन जाता। एक पक्षद्रोही साक्षी वह है जो किसी व्यक्ति को प्रतिशोध या शत्रुता या विवादों के कारण दोषी ठहराने में रुचि रखता है और न्यायालय के समक्ष केवल उसी इरादे से गवाही देता है, न्याय के मामले को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। हालाँकि, पक्षद्रोही साक्षी के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक जाँचा जाना चाहिए। जब उनके बयान अन्य साक्षियों, विशेषज्ञ साक्ष्य और मामले की परिस्थितियों द्वारा समर्थित होते हैं जो साक्ष्य की कड़ी के पूर्ण होने और अभियुक्त के अपराध को इंगित करने को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, तो तथाकथित "पक्षद्रोही साक्षियों" के बयानों पर न्यायालय भरोसा कर सकता है।

(19) मृतक जगदीश की पत्नी विमलाबाई (साक्षी-22) के साक्ष्य की सूक्ष्म जाँच पर, हम पाते हैं कि घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह घटना समाप्त होने के बाद घटनास्थल पर पहुँची। उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम विमलाबाई (अ.सा.-22) की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं महसूस करते। हमारा विचार है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विमलाबाई (अ.सा.-22) की गवाही पर भरोसा करके त्रुटि की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) अब हम साधेलाल (अ.सा.-23) के साक्ष्य पर विचार करेंगे, जो घटना के एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी रह गए हैं।

(21) साधेलाल (अ.सा.-23) ने गवाही दी कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह 2 मृतक व्यक्तियों अर्थात जगदीश और रामफल के साथ थाना मुंगेली जा रहे थे। रास्ते में, जैसे ही वे नदी (नाला) के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि 40-50 व्यक्ति रास्ते में बैठे थे। वे नदी पार करने के लिए उसमें प्रवेश किए। जगदीश और रामफल ने पहले नदी पार की। वह उनके पीछे थे। अभियुक्त सोनू ने जगदीश पर तब्बल से हमला किया। अभियुक्त बुधारी ने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही कैसे दायर की। सोनू से हमला पाने के बाद जगदीश गिर पड़े। इसके बाद, सभी 7 अभियुक्त व्यक्ति अर्थात सोनू, बुधारी, चोवा, फगुराम, श्यामदास, पुनवा और बजरहा दौड़ पड़े। वे तब्बल और लाठी से लैस थे। इन सभी 7 व्यक्तियों ने मृतक जगदीश पर तब्बल और लाठी से हमला किया। मृतक रामफल पर अभियुक्त भोंडल, विष्णु, फत्तेराम, चैतू, हरनारायण और चंद्रिका ने तब्बल और लाठियों से हमला किया। उन्होंने आगे गवाही दी कि उन पर स्वयं अभियुक्त भिखू, तुलवा और बजरहा ने हमला किया। उन्होंने उपर्युक्त 15 अभियुक्त व्यक्तियों के अलावा अन्य के नाम नहीं लिए। साधेलाल (अ.सा.-23) का बचाव पक्ष द्वारा लंबे समय तक प्रति परीक्षण किया गया

है। हालाँकि उनकी गवाही में कुछ चूकें हैं, लेकिन वे मामूली नहीं हैं। हमने उनकी संपूर्ण गवाही का अवलोकन किया है। वास्तव में, बचाव पक्ष द्वारा उनकी प्रति परीक्षण में कोई भी मामूली तथ्य नहीं निकाला जा सका। साधेलाल (अ.सा.-23) ने स्वयं चोटें प्राप्त कीं। अभियोजन पक्ष के सभी प्रासंगिक दस्तावेजों में, उनका नाम इस प्रकार उल्लिखित है जो दर्शाता है कि वह मृतकों के साथ उनके घर से ही जा रहे थे। इसलिए, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष किसी ऐसी परिस्थिति को नहीं निकाल पाया है, जिसके आधार पर, या तो उनकी गवाही को खारिज किया जा सके या यह कहा जा सके कि वह उपर्युक्त 15 अभियुक्त व्यक्तियों को झूठे फँसा रहे हैं यह कहकर कि उन्होंने मृतक व्यक्तियों और उन पर भी हमला करने में भाग लिया। उपर्युक्त अभियुक्त व्यक्ति लाठी और तब्बल जैसे घातक हथियारों से लैस थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे रास्ते में मृतक व्यक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जैसे ही मृतक व्यक्ति वहाँ पहुँचे, उन पर हमला किया और उन्होंने साधेलाल (अ.सा.-23) पर भी हमला किया। साधेलाल (अ.सा.-23) ने घटना का पूरा विवरण दिया है और प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति को दिए गए भूमिका बताई हैं। अभियोजन पक्ष का मामला है कि दोनों समूहों के व्यक्तियों को समझौते के लिए थाना प्रभारी द्वारा थाने पर बुलाया गया था। इसलिए, दोनों समूहों के व्यक्ति एक-दूसरे के कार्यक्रम को जानते थे। ये सभी तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कुल 15 अभियुक्त व्यक्ति विधि-विरूध्द जमाव के सदस्य थे। उन्होंने घातक हथियारों के साथ दंगे में भाग लिया। विधि-विरूध्द जमाव का सामान्य उद्देश्य 2 मृतक व्यक्तियों की हत्या करना और घायल साधेलाल (अ.सा.-23) पर हमला करना था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बजरहा नाम के 2 अभियुक्त व्यक्ति हैं। एक बजरहा @ बंगैहा पिता बहोरन सतनामी (अभियुक्त-22) है और दूसरा बजरहा पिता नकछेद सतनामी (अभियुक्त-28) है। साधेलाल (अ.सा.-23) के साक्ष्य पर संदेह है कि इन 2 समान नाम वाले अभियुक्त व्यक्तियों में से, वास्तव में, कौन वहाँ उपस्थित था और अपराध में भाग लिया। बजरहा @ बंगैहा पिता बहोरन सतनामी (अभियुक्त-22) की मृत्यु अपील लंबित रहने के दौरान हो गई है और बजरहा पिता नकछेद सतनामी (अभियुक्त-28) जीवित है। उपर्युक्त परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि इन दो समान नाम वाले अभियुक्त व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

(22) श्री अजय द्विवेदी, उप महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि यद्यपि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के नाम साधेलाल (अ.सा.-23) द्वारा नहीं लिए गए हैं, लेकिन उनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य साक्षियों के साक्ष्य में स्थान पाते हैं।

(23) **मुथु नाइकर एवं अन्य आदि बनाम तमिलनाडु राज्य, [एआईआर 1978 एससी 1647]** में विधि-विरूध्द जमाव से संबंधित मामले पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ हाथापाई होती है और बड़ी संख्या में आक्रमणकारी होते हैं और कई साक्षी दावा करते हैं कि उन्होंने अलग-अलग स्थानों से और घटना के अलग-अलग चरणों में घटना देखी, और जहाँ साक्ष्य निस्संदेह पक्षपातपूर्ण साक्ष्य है, वहाँ निर्दोष को दोषी के साथ झूठे फँसाए जाने की स्पष्ट संभावना को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक गुटबाजी से ग्रस्त समाज में जहाँ गाँव में विरोधी गुटों को शामिल करते हुए एक घटना घटित होती है, यह लगभग अपरिहार्य है कि साक्ष्य पक्षपातपूर्ण स्वभाव का होगा। ऐसी स्थिति में, केवल इस आधार पर कि यह पक्षपातपूर्ण है, संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार करना हमारे देश के ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं से आँखें मूंद लेना है। यदि इस तरह का आसान रास्ता अपनाया जाता है तो बड़ी संख्या में अभियुक्त बिना दंड के रह जाएंगे। साथ ही, यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसी स्थिति में विपरीत गुट के यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को केवल उन्हें हाथापाई में देखे जाने का नाम लेकर फँसाने की आसान प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अधिक बार देखने को मिलती है और जिससे बचा जाना चाहिए, और इसलिए, साक्ष्य की अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जाँच की जानी चाहिए। **मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [एआईआर 1965 एससी 202]** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय का भी उल्लेख किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(24) यह एक स्वीकृत स्थिति है कि गाँव में पार्टीबंदी थी। साधेलाल (अ.सा.-23) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मृतक एक पक्ष के सदस्य थे और अभियुक्त व्यक्ति दूसरे पक्ष के सदस्य थे। वास्तव में, अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि गाँव में पार्टीबंदी थी। ऐसी स्थिति में, जहाँ समाज गुटबाजी से ग्रस्त था, विरोधी गुट के अधिक से अधिक व्यक्तियों को फँसाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए, अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने अपने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों में लगभग 51 अभियुक्त व्यक्तियों के नाम लिए और उस आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया। हालाँकि,

न्यायालयी साक्ष्य में ऐसा मामला सामने नहीं आ रहा है और अभियोजन पक्ष उपर्युक्त 14 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध ही अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। अन्य शेष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, उन्हें उपरोक्त अपराधों के कमीशन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(25) अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री की सूक्ष्म जाँच पर, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सक्षम हुआ है कि एक विधि-विरूध्द जमाव था और उपर्युक्त 14 अभियुक्त व्यक्ति उस विधि-विरूध्द जमाव के सदस्य थे, जिन्होंने दंगे में भाग लिया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में 2 मृतक व्यक्तियों की हत्या की और उन्होंने साधेलाल (अ.सा.-23) को साधारण चोटें भी पहुँचाईं।

(26) परिणामस्वरूप, अपीलार्थी सोनू (अभियुक्त संख्या 21), अपीलार्थी बुधारी (अभियुक्त संख्या 9), अपीलार्थी चोवराम (अभियुक्त संख्या 26), अपीलार्थी फगुराम (अभियुक्त संख्या 18), अपीलार्थी श्यामदास (अभियुक्त संख्या 23), अपीलार्थी पुनवा (अभियुक्त संख्या 5), अपीलार्थी विष्णु (अभियुक्त संख्या 43), अपीलार्थी फत्तेराम (अभियुक्त संख्या 46), अपीलार्थी हरनारायण (अभियुक्त संख्या 45), अपीलार्थी चैतू (अभियुक्त संख्या 38) और अपीलार्थी तुलवा (अभियुक्त संख्या 20) की ओर से दायर अपीलों को खारिज किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(27) अपीलार्थी सोनू (अभियुक्त संख्या 21), अपीलार्थी चैतू (अभियुक्त संख्या 38) और अपीलार्थी तुलवा (अभियुक्त संख्या 20) की ओर से दायर अपीलें पहले ही विभिन्न तिथियों को उपशमित हो चुकी हैं, क्योंकि अपील लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है।

(28) अपीलार्थी बुधारी (अभियुक्त संख्या 9), अपीलार्थी चोवराम (अभियुक्त संख्या 26), अपीलार्थी फगुराम (अभियुक्त संख्या 18), अपीलार्थी श्यामदास (अभियुक्त संख्या 23), अपीलार्थी पुनवा (अभियुक्त संख्या 5), अपीलार्थी विष्णु (अभियुक्त संख्या 43), अपीलार्थी फत्तेराम (अभियुक्त संख्या 46) और अपीलार्थी हरनारायण (अभियुक्त संख्या 45) की ओर से दायर अपीलें यहाँ द्वारा खारिज की जाती हैं।

(29) शेष अपीलार्थियों की ओर से दायर अपीलें, इस प्रकार, स्वीकार की जाती हैं और उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

**सही/-**

**सुनिल कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश**

**सही/-**

**श्री आर. एस. शर्मा**

**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By Yashpal Singh**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur